राजस्व अपील संख्या : 41 / 2024

उनवान : मनोहर कंवर बनाम मधुलिका कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली (राज.)

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

नये नम्बर	गत नम्बर
राजस्व अपील संख्या : 41 / 2024	राजस्व अपील संख्या 16 / 2022
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 274	जी.सी.एम.एस. नम्बर 2022 / 155

अपीलाण्ट :–

मनोहर कंवर पुत्री जालमसिंह जाति राजपूत निवासी साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.

बनाम

रेस्पोडेण्ट :–

1. श्रीमती मधुलिका कंवर पत्नी स्व. चन्द्रपालसिंह
2. प्रधुमनसिंह पुत्र चन्द्रपालसिंह
3. भाग्यश्री पुत्री चन्द्रपालसिंह तमाम जातिगण राजपूत निवासीगण साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
4. भंवरसिंह पुत्र लक्ष्मणसिंह जाति राजपूत निवासी साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
5. किशनसिंह राणावत पुत्र योगेन्द्रसिंह राजपूत निवासी साण्डेराव तहसील सुमेरपुर जिला पाली राज.
6. राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारी तहसीलदार सुमेरपुर जिला पाली राज.

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरुद्ध मौजा साण्डेराव के नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 30.05.1992 जो नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता श्री गणपतलाल चौधरी।
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 01, 02 व 03 की ओर से अधिवक्ता श्री जगमोहन मेघवाल।
3. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 04 व 05 की ओर से अधिवक्ता श्री हिम्मत धनेरा।

<u>–:निर्णय:–</u>

दिनांक: **26.05.2026**

अपीलाण्ट की ओर से अधिवक्ता ने एक अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत पेश कर **मौजा साण्डेराव के नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 30.05.1992 जो नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पारित किया गया जिसे निरस्त करवाने बाबत्** पेश की गई। अपील पेश करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत पार्थना पत्र एवं शपथ पत्र पेश किया। अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेण्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया।

प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलाण्ट के पिता जालमसिंह वल्द सज्जनसिंह कौम राजपूत निवासी साण्डेराव, तहसील सुमेरपुर की खातेदारी जमीन सरहद मौजा

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 41/2024

उनवान : मनोहर कंवर बनाम मधुलिका कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

साण्डेराव, में खसरा नम्बर 1314, 1315, 1316, 1317, 1318, 1319, 1320, 1323, 1324, 1330 कुल रकबा 18.12 हैक्टर आयी हुई स्थित है। अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु होने से रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय पांच के नाम फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 30.05.1992 को पटवारी हल्का साण्डेराव को उसी दिन पेश किया जिन्होंने जांच की और दुरस्त पाया गया का नोट लगाकर स्वीकृति हेतु नायब तहसीलदार सुमेरपुर को पेश किया। जिन्होंने 10/– रुपये जुर्माना आरोपित कर नामान्तरकरण को उसी दिन तारीख 13.05.1992 को स्वीकृत कर दिया। जबकि अपीलाण्ट भी स्व. जालमसिंह पुत्र सज्जनसिंह की जायन्दा पुत्री है, इस प्रकार अपीलाण्ट के नाम का नामान्तरकरण में इन्द्राज नहीं कर केवल रेस्पोडेण्ट संख्या एक से पांच के नाम का इन्द्राज कर नामान्तरकरण संख्या 121 भरा गया जिसके विरुद्ध उक्त अपील अपीलाण्ट की ओर से निम्न आधारों पर प्रस्तुत है:–

1. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील विधि विरुद्ध एवं तथ्यों के विरुद्ध भरा जाने के कारण काबिल खारिज है।
2. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील भरने के पूर्व पटवारी हल्का साण्डेराव ने स्व. जालमसिंह पुत्र सज्जनसिंह के वारिसान बाबत कोई जांच नही की गई। न ही स्व. जालमसिंह पुत्र सज्जनसिंह के वारिसान को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया न ही स्व. जालमसिंह पुत्र सज्जनसिंह की मृत्यु के बाद उनका नामान्तरकरण जैर अपील की पुस्त पर कोई सजरा बनाया गया। इस कारण नामान्तरकरण जैर अपील काबिल खारिज है।
3. यह कि स्व. जालमसिंह पुत्र सज्जनसिंह के जीवनकाल में ही अपीलाण्ट का जन्म हो गया था और जालमसिंह की मृत्यु निर्वसीयत हुई है एवं स्व. जालमसिंह पुत्र सज्जनसिंह की मृत्यु हुई उस समय अपीलाण्ट जो उनकी जायन्दा पुत्री है, उसके नाम का फौतेदगी नामान्तरकरण में इन्द्राज नही कर केवल जालमसिंह के जीवित लड़कों का ही इन्द्राज किया गया। इस प्रकार नामान्तरकरण जैर अपील प्रारम्भ से ही शून्य था। जो Ab initio Void है।
4. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील भरते समय पटवारी हल्का साण्डेराव ने बिना किसी आधार के स्व. जालमसिंह पुत्र सज्जनसिंह के वारिसान के रुप में रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय पांच का नाम दर्ज किया लेकिन यह नाम किस आधार पर दर्ज किया इसका कोई इन्द्राज नामान्तरकरण जैर अपील में दर्ज नहीं किया एवं जांच हेतु भू अभिलेख निरीक्षक साण्डेराव के पास भेजने के बाद उनका यह कर्तव्य है कि स्व. जालमसिंह पुत्र सज्जनसिंह के वारिसान बाबत जांच करते लेकिन लेकिन जांच नही की और नामान्तरकरण जैर अपील को नायब तहसीलदार सुमेरपुर को भेज दिया एवं उन्होंने भी बिना किसी जांच के नामान्तरकरण जैर अपील को स्वीकृत कर दिया जबकि ऐसे फौतेदगी नामान्तरकरण को स्वीकृत करने का अधिकार केवल मात्र सम्बन्धित ग्राम पंचायत को रहता है। ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण स्वीकृत करने हेतु नहीं भेजने का कोई कारण भी नामान्तरकरण जैर अपील में लिखा हुआ नहीं है। इस प्रकार नामान्तरकरण जैर अपील को एक ही दिन में भरा जाना, जांच किया जाना एवं ग्राम पंचायत के पास भेजे बिना ही नायब तहसीलदार द्वारा उसी दिन स्वीकृत किया जाना स्पष्ट रुप से अपीलाण्ट को वादग्रस्त भूमि से वंचित करने की नियत से की गई कार्यवाही है। जिस कारण भी नामान्तरकरण जैर अपील काबिल खारिज है।
5. यह कि नामान्तरकरण जैर अपील एक सोची समझी साजिश के तहत भरा गया है जिसकी जानकारी अपीलाण्ट को नहीं दी गई और रेस्पोडेण्ट ने बाले बाले राजस्व कर्मचारियों से मिलावट कर एवं ग्राम पंचायत को नामान्तरकरण नहीं भेजकर विधि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर काली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

राजस्व अपील संख्या : 41/2024

उनवान : मनोहर कंवर बनाम मधुलिका कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

विधान के विरुद्ध नायब तहसीलदार से नामान्तरकरण स्वीकृत करवाया है जो तमाम कार्यवाही गलत गैर कानूनी होने से काबिल निरस्तनीय है।

6. यह कि अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण जैर अपील कब भरा गया इसके बारे में अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी। अपीलाण्ट को वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा कानूनन आता है। जिस पर अपीलाण्ट का कब्जा संयुक्त खातेदारों के साथ रहा है लेकिन हाल ही में रेस्पोडेण्ट्स द्वारा अपीलाण्ट को उसके 1/4 हिस्से से बेदखल किये जाने की धमकी दिये जाने पर अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की जांच करवाई गई तो मालूम पड़ा कि अपीलाण्ट के पिता जालमसिंह की मृत्यु होने पर भरे गये नामान्तरकरण मे केवल उनके लड़को के नाम भरे गये। बाद में जालमसिंह के लड़के चन्द्रपालसिंह व लक्ष्मणसिंह की मृत्यु होने पर उनके वारिसान का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज हो गया है। साथ ही यह भी जानकारी हुई कि रेस्पोडेण्ट संख्या पांच ने अपना नाम दर्ज करवाने के बाद बिना बंटवाडा ही अपीलाण्ट को उसकी भूमि से वंचित करने की नियत से रेस्पोडेण्ट संख्या पांच भंवरसिंह ने अपनी खातेदारी में दर्ज हिस्से को रेस्पोडेण्ट संख्या छः किशनसिंह राणावत को बेचान कर दिया। जबकि रेस्पोडेण्ट भंवरसिंह व किशनसिंह को यह भलीभांति मालूम है कि बेचानकर्ता का वादग्रस्त भूमि में 1/4 हिस्सा ही आता है। लेकिन किशनसिंह ने 1/3 हिस्से की रजिस्ट्री अपने नाम करवा दी है, जबकि रेस्पोडेण्ट भंवरसिंह का 1/4 हिस्सा ही आता है। इस बात की जानकारी राजस्व रिकॉर्ड मूल नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 23.02.2022 की प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने पर हुई है। अपीलाण्ट को अपने पिता के फौतेदगी नामान्तरकरण की जानकारी 20.02.2022 को हुई है नामान्तरकरण जैर अपील प्रारम्भ से ही शून्य था जिसमें कानूनन मयाद मायने नहीं रखती है लेकिन बावजुद इसके अपीलाण्ट की ओर से धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतः अपील अपीलाण्ट पेश कर निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 30.05.1992 को खारिज फरमाया जावें एवं अपीलाण्ट का नाम भी रेस्पोडेण्ट संख्या एक लगाय पांच के साथ स्व. जालमसिंह पुत्र सज्जनसिंह के वारिसान के तौर पर दर्ज किये जाने का आदेश प्रदान करावें।

अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को कण्डोन करने हेतु परिसीमा अधिनियम की धारा 05 के तहत प्रार्थना पत्र एवं शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलाण्ट के पिता की मृत्यु के बाद नामान्तरकरण जैर अपील कब भरा गया इसके बारे में अपीलाण्ट को कोई जानकारी नहीं थी बाद में अपीलाण्ट को हाल ही में रेस्पोडेण्ट द्वारा उसके 1/4 हिस्से की कृषि भूमि से बेदखल किये जाने की धमकी दी। जिस पर अपीलाण्ट द्वारा राजस्व रिकॉर्ड की जांच करवाई एवं राजस्व रिकॉर्ड के अवलोकन के बाद इस बात की जानकारी हुई। अपीलाण्ट ने नामान्तरकरण जैर अपील की प्रति तहसील कार्यालय सुमेरपुर में 22.02.2022 को मांगी थी, जो नकल अपीलाण्ट को तारीख 23.02.2022 को प्राप्त हुई। राजस्व रिकॉर्ड मूल नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 23.02.2022 को प्रमाणित प्रतिलिपि मिलने पर एवं उसका अवलोकन करवाया तब जानकारी प्राप्त हुई कि अपीलाण्ट का नाम फौतेदगी नामान्तरकरण जैर अपील में दर्ज नहीं किया गया। जिस कारण नकल अपीलाण्ट को प्राप्त होते ही अपीलाण्ट द्वारा उक्त नामान्तरकरण को अपने अधिवक्ता को बताया जिस पर उन्होंने अपील तैयार की व अपीलाण्ट द्वारा उक्त अपील आज बिना किसी देरी के पेश करवाई जा रही है। अपीलाण्ट को अपने पिता के फौतेदगी नामान्तरकरण की जानकारी 20.02.2022 को हुई है नामान्तरकरण जैर अपील प्रारम्भ से ही शून्य था जिसमें कानूनन मियाद मायने नहीं रखती है। लेकिन बावजुद इसके अपीलाण्ट की और से धारा 05 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र देरी को क्षमा करने हेतु

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 41/2024

उनवान : मनोहर कंवर बनाम मधुलिका कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

पेश किया जा रहा है। जिस कारण अपील को देरी से पेश किये जाने के डिले को कण्डोन किया जाना आवश्यक व न्यायसंगत है।

अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट संख्या 05 व 06 ने जवाब मियाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि:–

1. यह है कि जालमसिंह की मृत्यु के बाद दिनांक 30.05.1992 को म्यूटेशन संख्या 121 लक्ष्मणसिंह, चन्द्रपाल व नटरवरसिंह के नाम स्वीकृत हुआ है, उक्त म्यूटेशन को स्वीकृत हुए 30 वर्ष हो चुके है तथा अब अपीलाण्ट द्वारा जो अपील की गई है, यह म्याद बाहर है। म्यूटेशन की स्वीकृति के समय से अपीलाण्ट को तीनों भाईयों के नाम म्यूटेशन भरे जाने की जानकारी थी तथा परम्परा के अनुसार पुत्र के नाम के कही म्यूटेशन स्वीकृत किये जाते थे तथा अपीलाण्ट द्वारा उस समय सहमति व्यक्त की गई थी, इस कारण से 30 वर्षो बाद अब आपत्ति प्रस्तुत करने का अधिकार नहीं है तथा लक्ष्मणसिंह व चन्द्रपाल की मृत्यु भी हो चुकी है। नटवरसिंह के वारिशान नही है तथा अपीलाण्ट के भी कोई वारिश नहीं है तथा अपीलाण्ट नटवरसिंह के साथ साण्डेराव में ही निवास कर रही है तथा अपीलाण्ट के नाम का राशनकार्ड बना हुआ है, इसमें भाई नटवरसिंह का नाम दर्जशुदा है तथा अपीलाण्ट द्वारा कभी काश्त नहीं की गई है व जानबुझकर रेस्पोडेण्ट् को क्षति पहुँचाने के लिए अपील की गई है।
2. यह है कि रेस्पोडेण्ट संख्या 04 के साथ अपीलाण्ट निवासरत है तथा रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 03 भी अपीलाण्ट व रेस्पोडेण्ट संख्या 04 के साथ है व एक ही परिवार है। रेस्पोडेण्ट संख्या 04 द्वारा अपीलाधीन कृषि भूमि में अपना 1/3 हिस्सा स्वीकार करते हुए दिनांक 14.09.2021 को पंजीयन हकतर्कनामा के जरिये अपना 1/3 हिस्सा प्रद्युमनसिंह पुत्र चन्द्रपालसिंह के पक्ष में कर दिया गया तथा उक्त हकतर्कनामा करने की जानकारी अपीलाण्ट को थी व नटरवरसिंह, चन्द्रपालसिंह व लक्ष्मणसिंह का फौतेदगी म्यूटेशन जालमसिंह की जगह प्रत्येक एक का 1/3-- 1/3 हिस्से में दर्ज हुआ व यह हिस्सा चन्द्रपालसिंह के वारिशान व नटवरसिंह को स्वीकृतशुदा है तथा अपीलाण्ट चन्द्रपालसिंह के वारिशान व नटवरसिंह के साथ निवास करती है। इसके अलावा भाग्यश्री जो चन्द्रपाल की पुत्री है, इसने भी चन्द्रपाल की मृत्यु के बाद 1/3 हिस्से में जो अपना 1/3 हिस्सा आता है जो 1/9 है, उक्त हिस्से को अपनी माता मधुलिका कंवर के नाम दिनांक 14.09.2021 को पंजीयन हकतर्कनामा करवा दिया। इस तरीके से जमाबंदी में वर्तमान में रेस्पोडेण्ट संख्या 02 के नाम पिता के स्थान पर प्राप्त हिस्स 1/9 तथा नटवरसिंह से प्राप्त हिस्सा जो 1/3 है वो प्राप्त करने के बाद 4/9 हिस्सा दर्ज हुआ तथा इसके साथ मधुलिका कंवर का पति की मृत्यु के बाद 1/9 हिस्सा प्राप्त हुआ, इस तरीके से मधुलिका कंवर का 2/9 हिस्सा जमाबंदी में दर्ज है। यानि की रेस्पोडेण्ट संख्या 1 व 2 के पास में 2/3 हिस्से की भूमि है तथा उक्त 2/3 हिस्से का विवाद कभी भी अपीलाण्ट द्वारा नहीं किया गया व कब्जाकाश्त भी रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 का है। यह तमाम जानकारी अपीलाण्ट को शुरु से है परन्तु जानबुझकर अब रेस्पोडेण्ट संख्या 06 का हिस्सा हजम करने के लिए व उसको बेदखल करने के लिए उक्त अपील पेश की है। इस कारण अपील चलने योग्य नहीं है।
3. यह है लक्ष्मणसिंह जो 1/3 हिस्सा प्राप्त हुआ तथा लक्ष्मणसिंह के बाद भंवरसिंह के नाम 1/3 हिस्से में दर्ज रहा तथा भंवरसिंह द्वारा अपनी उक्त कृषि भूमि को रजिस्टर्ड बेचान से रेस्पोडेण्ट संख्या 06 किशनसिंह को रजिस्टर्ड बेचाण द्वारा हस्तान्तरण कर दी तथा म्यूटेशन किशनसिंह के नाम दर्ज हुआ। उक्त भूमि हड़प करने की नियत से रेस्पोडेण्ट संख्या 01 से 04 ने मिलकर अपीलाण्ट से उक्त अपील दुर्भावना पूर्वक

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 41/2024

उनवान : मनोहर कंवर बनाम मधुलिका कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

करवायी है तथा लक्ष्मणसिंह से उक्त भूमि हडप करना चाहते है, जिसको हस्तान्तरण कर दिया है, जबकि अपीलाण्ट का अपीलाधीन कृषि भूमि में माफिक परम्परा व कानून के कोई अधिकार नहीं है तथा म्यूटेशन भी भू–राजस्व अधिनियम के तहत स्वीकृत हुआ है।

4. यह है कि अपील को 30 वर्षों की देरी से पेश करने का कोई कारण नहीं दर्शाया गया है तथा दस्तावेज जो म्यूटेशन स्वीकृतशुदा है 30 वर्षों पुराना म्यूटेशन होने से उक्त म्यूटेशन सही होने की उपधारणा है मौके पर कब्जा 1/3 हिस्से पर रेस्पोडेण्ट संख्या 06 का है तथा विवाद जानबुझकर किया गया है ताकि उक्त सम्पूर्ण भूमि रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 को प्राप्त हो सके। अपीलाण्ट 72 वर्षीय औरत है जो स्वयं कभी काश्त नहीं करती है, न ही कब्जे में ही रही है। रेवेन्यु रिकॉर्ड में रेस्पोडेण्ट संख्या 05 व इनके पिता का 1/3 हिस्से में नामदर्ज होने की जानकारी वर्ष 1992 से भी तथा एक ही ग्राम में व क्षेत्र में निवास करती है, इसलिए फौतेदगी म्यूटेशन जालमसिंह के वारिशान के नाम स्वीकृत होने की जानकारी नही हो, यह तथ्य मानने योग्य नही है। इस कारण से अपील को मेरीट पर सुना जाना भी आवश्यक नही है। म्याद का बिन्दु है तथा म्याद के विधिक बिन्दु को प्राथमिक स्तर पर निस्तारण कर अपील को खारिज फरमाया जावें तथा कब्जा अपीलांट का नहीं होने से व हक अधिकार अपीलाण्ट के कारण ही अपीलाण्ट के समाप्त होने से अपीलाण्ट म्यूटेशन अपील करने की अधिकारी नही है, न ही इतना पुराना म्यूटेशन चैलेन्ज किये जाने योग्य नही है। इस कारण से अपील चलने योग्य नहीं होने के कारण अपील को खारिज फरमाया जावें।

5. यह है कि अपीलाण्ट 72 वर्षीय वृद्ध औरत है, कब जानकारी हुई, कैसे जानकारी हुई, किसके द्वारा जानकारी हुई तथा म्यूटेशन की नकल किसके द्वारा प्राप्त की गई, यह तथ्य अपील में व म्याद प्रार्थना पत्र में दर्ज नही है, चूंकि तमाम कार्यवाही तीसरे पक्ष रेस्पोडेण्ट संख्या 01 व 02 द्वारा की गई है, इस कारण से अपील अन्दर म्याद नही है व अपीलाण्ट का फौतेदगी म्यूटेशन स्वीकृति के समय से ही जानकारी में है। इस कारण से अपील को मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। व अपील मियाद बाहर होने से प्रारम्भिक स्तर पर ही खारिज फरमाया जावें। तथा मियाद के बिन्दु को प्रथमतः सुना जावें।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि अपील मियाद बाहर होने के कारण तथा चलने योग्य नहीं होने के कारण हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे व मियाद के बिन्दु पर पहले सुना जावें।

मियाद प्रार्थना पत्र पर वक्त बहस काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष तथा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या चार एवं पांच ने क्रमशः मियाद प्रार्थना पत्र तथा प्राथमिक आपत्ति/जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपना पक्ष प्रस्तुत किया। काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक लगाय तीन ने इस सम्बन्ध में न्यायोचित निर्णय लेने का निवेदन किया। मियाद के प्रश्न पर अधिवक्तागण की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रार्थिया द्वारा मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम मय शपथपत्र प्रस्तुत कर यह सशपथ कथन किया है कि अपीलार्थी को विवादित नामान्तरकरण आदेश संख्या 121 दिनांक 30.05.1992 की जानकारी पूर्व में नही थी तथा उसे उक्त आदेश एवं उससे उत्पन्न प्रतिकुल प्रभावों का ज्ञान बाद में हुआ। जानकारी प्राप्त होते ही उसने आवश्यक अभिलेख प्राप्त कर बिना अनावश्यक विलम्ब के वर्तमान अपील प्रस्तुत की है। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा किए जाने का निवेदन किया गया है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला-पाली

राजस्व अपील संख्या : 41/2024

उनवान : मनोहर कंवर बनाम मधुलिका कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

मियाद प्रार्थना पत्र, उपलब्ध अभिलेखों एवं प्रकरण की समस्त परिस्थितियों पर विचार किया गया। यह स्थापित विधिक सिद्धान्त है कि न्यायालय को विलम्ब माफी प्रार्थना पत्र का निर्णय तकनीकी आधार के स्थान पर न्यायोचित एवं उदार दृष्टिकोण अपनाते हुए करना चाहिए, ताकि पक्षकार को उसके विवाद का निर्णय गुण–दोष के आधार पर प्राप्त हो सके। अभिलेख से यह भी परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी स्वयं को विवादित सम्पति में अधिकारयुक्त बताते हुए अपने अधिकार के संरक्षण हेतु न्यायालय की शरण में आई है। प्रकरण की परिस्थितियों एवं न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए न्यायालय हाजा का विनम्र अभिमत है कि विलम्ब के कारण अपीलार्थी को सुनवाई के अवसर से वंचित करना उचित नहीं होगा। अतः विलम्ब के लिए दर्शाए गए कारण पर्याप्त एवं संतोषजनक प्रतीत होता है। अप्रार्थीपक्ष भी वक़्त सुनवाई ऐसा कोई ठोस दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करनें में असफल रहे हैं, जिनके आधार पर यह उपधारणा की जा सके कि अपीलाण्ट को आलोच्य नामान्तरकरण की जानकारी पूर्व से ही है।

अतः मियाद प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 परिसीमा अधिनियम में अंकित सशपथ कथनों का प्रमाणित मानते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि का उपशमन किया जाता है तथा हस्तगत अपील को मियादशुमार घोषित करते हुए गुणावगुण आधार पर निर्णीत करने का निश्चय किया जाता है।

काबिल अधिवक्ता अपीलार्थीपक्ष ने वक़्त बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलार्थी का कथित अधिकार हिन्दु अधिकार अधिनियम, 1956 के प्रावधानों से उद्भूत है। अपीलार्थी स्व. जालमसिंह की जायन्दा पुत्री है तथा उनकी मृत्यु के उपरान्त ज़रिए आलोच्य नामान्तरकरण संख्या 121 स्व. जालमसिंह के पुत्रों के नाम नामान्तरकरण दाखिल किया गया एवं अप्रार्थिया का नाम दर्ज नहीं कर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है। ऐसा स्वीकृति आदेश प्रारम्भतः ही शून्य है। स्व. जालमसिंह की निर्वसीयत मृत्यु होने पर फौतेदगी नामान्तरकरण सम्बन्धि कार्यवाही हेतु ग्राम पंचायत अधिकृत थी, किन्तु नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा अधिकार क्षेत्र से परे जाकर, तथा हिन्दु उत्तराधिकार सम्बन्धि आज्ञापक प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ज़ैर अपील नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 30.05.1992 को स्वीकृत किया गया, जो काबिल खारिज है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या चार व पाँच ने वक़्त बहस निवेदन किया कि अपीलार्थीया को आलोच्य नामान्तरकरण की प्रारम्भ से ही जानकारी रही है तथा ज़ैर अपील कृषि आराजी पर अपीलार्थिया का कब्जा काश्त नहीं है। अप्रार्थी संख्या पांच सद्भावी क्रेता है, जिसके अप्रार्थी संख्या चार से विवादग्रस्त आराजी का एक भाग क्रय किया है। अतः सदभावी क्रेता होने से उसके अधिकारों का संरक्षण आवश्यक है।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या एक लगाय तीन ने वक़्त बहस हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार विधिसम्मत निर्णय पारित करने का निवेदन किया।

उभयपक्ष की बहस सुनी जाकर तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा मूल नामान्तरकरण परत का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि श्री जालमसिंह पुत्र श्री सज्जनसिंह निवासी साण्डेराव (तहसील सुमेरपुर) की मृत्यु पर हल्का पटवारी साण्डेराव ने उनके द्वारा धारित कृषि भूमियों में फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 121 दर्ज किया, जिसे नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा दिनांक 30.05.1992 को स्वीकृत किया गया। अपीलार्थिया द्वारा अपील मीमों में यह सशपथ कथन कर आलोच्य नामान्तरकरण की वैधता को इस आधार पर चुनौति दी है कि वह स्व. जालमसिंह की जायन्दा पुत्री है तथा श्री जालमसिंह की निर्वसीयत मृत्यु होने के उपरान्त उनके द्वारा धारित खातेदारी भूमियों में स्व. जालमसिंह के पुत्रों के पक्ष में ही नामान्तरकरण प्रविष्ठि की गई एवं अपीलार्थिया का नाम इन्द्राज नहीं किया गया। वक़्त सुनवाई अप्रार्थीगण द्वारा इस तथ्य का खण्डन नहीं किया गया कि अपीलाण्ट मनोहरकंवर स्व. श्री जालमसिंह की जायन्दा पुत्री है।

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
पाली

राजस्व अपील संख्या : 41/2024

उनवान : मनोहर कंवर बनाम मधुलिका कंवर व अन्य अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956

अर्थात यह स्वीकार्य स्थिति (Admitted Position) है कि अपीलाण्ट स्व. श्री जालमसिंह पुत्र श्री सज्जनसिंह की जायन्दा पुत्री है तथा हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम द्वारा शासित श्री जालमसिंह की निर्वसीयत मृत्यु होने पर अपीलाण्ट के नाम आलोच्य नामान्तरकरण में प्रविष्ठि नहीं की गई।

जैर अपील नामान्तरकरण संख्या 121 की मूल परत में हल्का पटवारी साण्डेराव की टिप्पणी अनुसार "जालमसिंह को फौत हुए करीब चार वर्ष हो चुके है। जायन्दा पुत्रों के नाम नामान्तरकरण भरा गया उनकी बेवा फौत है।"

पटवारी द्वारा अंकित उक्त टिप्पणी के अतिरिक्त अन्य कोई सजरा खानदान या जाँच आदि का विवरण अंकित नहीं है। अर्थात अपीलाण्ट का यह कथन विश्वास योग्य है कि स्व. जालमसिंह की मृत्यु उपरान्त उसके समस्त जायन्दा वारिसों की जाँच किये बिना ही केवल जायन्दा पुत्रों के नाम नामान्तरकरण दर्ज किया गया।

हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानानुसार किसी हिन्दु की निर्वसीयत मृत्यु उपरान्त सम्पति हस्तान्तरण हेतु प्रथम श्रेणी के वारिसों में पुत्री को भी पुत्र के समान ही अधिकार प्राप्त है। श्री जालमसिंह पुत्र श्री सज्जनसिंह, निवासी साण्डेराव की मृत्यु पर दर्ज व स्वीकृत ज़ैर अपील नामान्तरकरण संख्या 121 दिनांक 30.05.1992 में अपीलार्थिया, जो कि स्व. जालमसिंह की जायन्दा पुत्री है, के स्थान पर केवल जायन्दा पुत्रों का नाम ही दर्ज किया गया, जो कि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के विपरित होने से प्रथमदृष्टया शून्य (ab initio void) कार्यवाही है। साथ ही, ऐसे ab initio void नामान्तरकरण के आधार पर विवादित कृषि आराजी में कालान्तर में सम्पादित समस्त हस्तान्तरण भी अपीलार्थिया मनोहर कंवर के निहित हिस्से की सीमा तक अवैधानिक घोषित किये जाते है।

अतः राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के उपबन्धान्तर्गत प्रस्तुत हस्तगत अपील स्वीकार की जाती है तथा नायब तहसीलदार सुमेरपुर द्वारा पटवार क्षेत्र साण्डेराव के नामान्तरकरण संख्या 121 के सम्बन्ध में जारी स्वीकृति आज्ञा दिनांक 30.05.1992 को अपास्त किया जाता है। साथ ही, प्रकरण तहसीलदार सुमेरपुर को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि ज़ैर अपील कृषि भूमियों के सम्बन्ध में दिनांक 30.05.1992 से पूर्व की स्थिति बहाल करते हुए अपीलार्थिया मनोहरकंवर का 1/4 हिस्सा तथा शेष भाग अन्य वैध वारिसों/क्रेता के पक्ष में दर्ज करते हुए नये सिरे नामान्तरकरण कार्यवाही सम्पादित करें।

निर्णय आज दिनांक 26.05.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड लौटाया जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
R.A.S.
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली, जिला-पाली
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
बाली